न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1, गोरखपुर।

रेन्ट अपील संख्या–16/2016
वासुदेव यादव————बनाम————कृष्ण विहारी।

दिनांक–21.01.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलाकर्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 124ग पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अपीलार्थी सुरेन्द्र बहादुर यादव की ओर से प्रार्थना पत्र 124ग मय शपथ पत्र 125ग धारा–34 नियम 25 उ0प्र0 शहरी भवन किरायेदारी अधिनियम सन् 1972 के तहत के कहते हुये प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी सं0–1/1 श्रीमती मन्ती देवी की मृत्यु हो गयी है। उसका एक लड़का सुरेन्द्र बहादुर यादव व लड़की सीमा यादव है। सुरेन्द्र बहादुर यादव अपीलार्थी सं0–1/2 के रूप में पूर्व से ही पक्षकार है। अतः श्रीमती मन्ती देवी के नाम के आगे मृतका दौरान मुकदमा अंकित करने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से आपत्ति 128ग प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है कि मृतका श्रीमती मन्ती देवी की पुत्री सीमा यादव शादीशुदा है तथा अपने पिता की मृत्यु से पूर्व से ही अपनी ससुराल में रहती थी। वह उसकी विधिक प्रतिनिधि नहीं है। उसकी ओर से पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पूर्व में निरस्त किये जा चुके हैं। अतः विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से अपीलार्थी सं0–1/2 सुरेन्द्र बहादुर यादव, अपीलार्थी सं0–1/1 श्रीमती मन्ती देवी के नाम के आगे मृतका दौरान मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थनापत्र 124ग स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी वांछित संशोधन अन्दर 7 दिन करे।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 10.02.2025 को जारी हो।

ह0
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1,
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.01.21 16:21:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court